Hindi - हिन्दी

नाम वापिस लेने का नोटिस

फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया (ऑस्ट्रेलियाई संघीय न्यायालय)

असाइल्म (शरण) की मांग करने वाले लोगों की गैर-कानूनी नज़रबंदी (डिटेन्शन) का क्लास एक्शन (सामूहिक कार्यवाही)

DBE17 (उनके मुकदमे की संरक्षिका Marie Theresa Arthur द्वारा) बनाम ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल

(VID1392 of 2019)

ध्यान दें:

आपको यह नोटिस ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

यदि आपको **27 अगस्त 2011** से लेकर **25 फरवरी 2020** के बीच दो या दो से अधिक कार्यकारी दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में डिटेन (नज़रबंद) किया गया था तो इम्मीग्रेशन डिटेन्शन में आपके द्वारा बिताए समय के बारे में आपके और अन्य लोगों के लिए एक अदालती मुकदमा शुरु किया गया है।

अदालत ने आदेश दिया है कि हम आपको यह जानकारी भेजें क्योंकि आपको यह फैसला लेने की ज़रुरत है कि क्या आप इस मुकदमे में बने रहना चाहते/चाहती हैं या नहीं।

यदि इस नोटिस के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए। आपको अदालत से संपर्क **नहीं** करना चाहिए।

यदि आप अंग्रेज़ी पढ़ने में योग्य नहीं हैं, तो यह नोटिस निम्नलिखित वेबसाइट पर “Unlawful detention of people seeking asylum class action (असाइल्म की मांग करने वाले लोगों की गैर-कानूनी नज़रबंदी का क्लास एक्शन” के तहत अन्य भाषाओं में उपलब्ध है: https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/. आप Maurice Blackburn Lawyers को 1800 930 956 पर फोन करके या asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au पर ई-मेल करके भी अपनी भाषा में नोटिस की प्रति प्राप्त करने का निवेदन कर सकते/सकती हैं।

1. मुझे यह क्यों मिल रहा है?

यह नोटिस एक अदालती मुकदमे के बारे में है जिसे "**DBE17**" कहे जाने वाले व्यक्ति द्वारा शुरु किया गया है। कानूनी कारणों की वजह से हम उसके असली नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसकी आयु 18 साल से कम है, इसलिए यह मुकदमा उसके लिए उसके मुकदमे की संरक्षिका Marie Theresa Arthur द्वारा शुरु किया गया था।

मुकदमा फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। यह ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल (**"ऑस्ट्रेलिया की सरकार"**) के खिलाफ है।

DBE17 का दावा है कि, वह और अन्य लोग (**"ग्रुप मैंबर – समूह के सदस्य"**) जो 27 अगस्त 2011 से लेकर 25 फरवरी 2020 के बीच इमीग्रेशन डिटेन्शन में थे, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा *गैर-कानूनी ढंग से* नज़रबंद किया गया था। आपको यह नोटिस इसलिए मिल रहा है क्योंकि हो सकता है कि 27 अगस्त 2011 से लेकर 25 फरवरी 2020 के बीच आप ऑस्ट्रेलिया में इमीग्रेशन डिटेन्शन में थे। इसलिए हो सकता है कि आप समूह के सदस्य हों।

2. ऑस्ट्रेलियाई कानूनी प्रणाली

ऑस्ट्रेलिया की कानूनी प्रणाली किसी व्यक्ति (जिसे "**वादी**" कहते हैं) को वित्तीय मुआवजे के लिए किसी अन्य व्यक्ति, या कम्पनी या सरकार (जिसे "**प्रतिवादी**" कहते हैं) के खिलाफ उस स्थिति में अदालती मुकदमा शुरु करने की अनुमति देती है यदि वादी को लगता है कि प्रतिवादी द्वारा उठाए किसी कदम के फलस्वरुप उसे चोट लगी है या नुकसान पहुँचा है, और यदि प्रतिवादी के खिलाफ वादी के दावे(वों) या मुआवजे(ज़ों) के लिए उचित आधार हो।

ऑस्ट्रेलिया में सभी अदालतें संसद और संसद के सदस्यों से स्वतंत्र हैं। अदालतें जिन कार्यविधियों का अनुपालन करती हैं, उनके बारे में उनके स्पष्ट नियम हैं। इनमें प्रमाण तैयार करने और कानून के अनुसार अदालती मुकदमे पर फैसला लेने के लिए उस प्रमाण पर कानूनी सिद्धांत लागू करने के लिए नियम शामिल हैं।

3. क्लास एक्शन (सामूहिक कार्यवाही) क्या होता है?

इस अदालती मुकदमे को "**क्लास एक्शन**" कहते हैं। क्लास एक्शन वह अदालती मुकदमा होता है जिसे लोगों के किसी समूह (अर्थात समूह के सदस्यों) के लिए किसी एक व्यक्ति (अर्थात वादी) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या निकाय (अर्थात प्रतिवादी) के खिलाफ शुरु किया जाता है।

क्लास एक्शन में, वादी और समूह के सदस्यों के प्रतिवादी के खिलाफ समान दावे या शिकायतें होती हैं।

4. यह क्लास एक्शन किस बारे में है?

इस क्लाश एक्शन में, DBE17का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा गैर-कानूनी गैर-नागरिकों की नज़रबंदी केवल उसी स्थिति में *कानूनी* है यदि:

1) नज़रबंदी हर समय निम्नलिखित उद्देश्य के लिए की गई हो:

    a) ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित किए जाने के उद्देश्य के लिए, इसमें किसी रिज़नल प्रोसेसिंग देश (इस मामले में, नाउरु या पापुआ न्यू गिनी) में निष्कासन किया जाना शामिल है;

    b) किसी वीज़ा के लिए आवेदन प्राप्त करने, इसकी जांच करने और इसपर फैसला लेने के उद्देश्य के लिए जिससे गैर-कानूनी गैर-नागरिक को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने और रहने की अनुमति मिले; या

    c) यह फैसला लेने के उद्देश्य से कि क्या किसी वीज़ा के लिए वैध आवेदन की अनुमति देनी है या नहीं।

2) नज़रबंदी का प्रासंगिक प्रयोजन पूरा किए जाने योग्य हो।

3) नज़रबंदी का प्रासंगिक प्रयोजन को पूरा करने के लिए हर समय काम किया जा रहा हो और यथोचित तौर पर जितनी जल्दी संभव हो, इसे किया जा रहा हो।

DBE17 का दावा है कि उसे और समूह के सदस्यों को निम्नलिखित एक या दोनों कारणों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा गैर-कानूनी ढंग से नज़रबंद किया गया था:

a) DBE17 और समूह के वे सदस्य जो 12 अगस्त 2012 के बाद ऑस्ट्रेलिया आए थे और जिन्हें नाउरु या पापुआ न्यू गिनी ले जाया जाना ज़रुरी था परन्तु उन्हें गैर-कानूनी ढंग से नज़रबंद किया गया था क्योंकि या तो:

   i. उन व्यक्तियों को उन स्थानों पर ले जाया जाना यथोचित तौर पर संभव नहीं था या यह कार्य पूरा किए जाने योग्य नहीं था, या

   ii. व्यक्तियों को उन स्थानों पर ले जाया गया था परन्तु उतनी जल्दी नहीं जितना यथोचित तौर पर संभव था।

b) ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह निर्णय लेने में बहुत लम्बा समय लिया कि क्या DBE17और समूह के सदस्यों को ऑस्ट्रेलिया में बने रहने के लिए वीज़ा देना है या नहीं।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि DBE17 और समूह के सदस्यों को गैर-कानूनी ढंग से नज़रबंद किया गया था और वह क्लास एक्शन पर प्रतिवाद कर रही है।

5. क्या आप समूह के सदस्य हैं?

आप समूह के सदस्य हैं यदि:

a) आपको 27 अगस्त 2011 से लेकर 25 फरवरी 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया के किसी भाग या भागों में दो से अधिक कार्यकारी दिनों के लिए इमीग्रेशन डिटेंशन में नज़रबंद किया गया था;

b) आपको इसलिए नज़रबंद नहीं किया गया था क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा रद्द कर दिया गया था;

c) आप ऑस्ट्रेलिया में आगमन करने के बाद किसी भी समय अपनी इच्छा से अपने स्वदेश या उस देश वापिस नहीं लौट गए थे/गई थी जहाँ आप ऑस्ट्रेलिया आने से पहले निवास करते/करती थी;

d) आपको 27 अगस्त 2011 से लेकर किसी भी समय के लिए ऑस्ट्रेलिया से निकालकर आपके स्वदेश या उस देश वापिस नहीं भेजा गया था जहाँ आप ऑस्ट्रेलिया आने से पहले निवास करते/करती थी;

e) आपको इसलिए नज़रबंद नहीं किया गया था क्योंकि आपका वीज़ा समाप्त हो गया था और आप बिना वैध वीज़ा के ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे/रही थी, बशर्ते कि आपको बाद में प्रोटेक्शन वीज़ा न दिया गया हो;

f) आपको किसी भी समय *Australian Security Intelligence Organisation Act 1979* (Cth) के तहत प्रतिकूल सुरक्षा आकलन नहीं मिला था।

यदि आपको पक्का पता नहीं है कि क्या आप समूह के सदस्य हैं या नहीं, तो आपको Maurice Blackburn Lawyers से 1800 930 956 या asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au पर संपर्क करना चाहिए या बिना विलंब अपके लिए कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

6. मैं समूह का सदस्य हूँ और मैं क्लास एक्शन में बने रहना चाहता/चाहती हूँ – मुझे क्या करने की ज़रुरत है?

यदि आप क्लास एक्शन में बने रहना चाहते/चाहती हैं तो आपको अभी कुछ भी करने की ज़रुरत **नहीं** है।

परन्तु, आप DBE17 के वकील Maurice Blackburn Lawyers की वेबसाइट https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/ पर अपने संपर्क विवरण रजिस्टर कर सकते/सकती हैं। ऐसा करने से क्लास एक्शन से जुड़े कोई भविष्य के नोटिस आपके पसंदीदा पते, ई-मेल या मोबाइल नम्बर पर भेजे जा सकते हैं।

इस क्लास एक्शन में बने रहने के लिए **आपको अभी कोई भुगतान करने की ज़रुरत नहीं है:** *“8. यदि मैं क्लास एक्शन में बना रहूँ तो क्या मुझे कोई भुगतान करना होगा?”* पर और अधिक विवरण देखें

क्लास एक्शन में बने रहने से वर्तमान में आपके वीज़ा के प्रकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अपने वीज़ा के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो आपको किसी माइग्रेशन एजेंट से संपर्क करना चाहिए।

यदि आप क्लास एक्शन में बने रहते/रहती हैं, तो आप क्लास एक्शन के परिणाम से “बाध्य” होंगे/होंगी। इसका यह अर्थ है कि आपको परिणाम स्वीकार करना पड़ेगा और यह आप पर लागू होगा चाहे क्लास एक्शन कामयाब रहता है या हार जाता है या इसमें कोई समझौता हो जाता है।

a) यदि क्लास एक्शन कामयाब रहता है, तो आप फैसले के अवॉर्ड या समझौता राशि में हिस्से के पात्र हो सकते/सकती हैं। अर्थात, आपको पैसे मिल सकते हैं।

b) यदि क्लास एक्शन नाकामयाब रहता है या उम्मीद से कम कामयाब रहता है, तो हो सकता है कि आपको कोई धन न मिले या बहुत थोड़ा धन मिले। परंतु, आपको किसी धन का भुगतान नहीं करना होगा।

चाहे क्लास एक्शन कामयाब होता है या नहीं, पर यदि आप इसमें बने रहते/रहती हैं, तो आप आगे चलकर उपरोक्त *“3. यह क्लास एक्शन क्या है?”* में वर्णन की गई गैर-कानूनी नज़रबंदी की समान शिकायतों के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाद अपना खुद का अदालती मुकदमा शुरु नहीं कर सकते/सकती हैं।

7. मैं एक ग्रुप मैंबर (समूह का सदस्य) हूँ परन्तु मैं क्लास एक्शन में बने रहना नहीं चाहता/चाहती हूँ – मुझे क्या करने की ज़रुरत है?

यदि आप क्लास एक्शन में बने रहना नहीं चाहते/चाहती हैं तो आपके लिए यह ज़रुरी है कि आप फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को इसकी सूचना दें। इसे “नाम वापिस लेना” कहते हैं।

यदि आप नाम वापिस लेते/लेती हैं तो:

a) चाहे क्लास एक्शन का परिणाम कुछ भी हो आपको इससे कोई धन नहीं मिलेगा;

b) आप क्लास एक्शन के परिणाम से बाध्य नहीं होंगे और यदि आप चाहें तो आप ऑस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाफ गैर-कानूनी नज़रबंदी की समान शिकायतों के बारे में अपना खुद का अदालती मुकदमा शुरु कर सकते/सकती हैं, बशर्ते कि आप मुकदमा कानूनी समय-सीमाओं के भीतर शुरु करें।

यदि आप ऑस्ट्रेलियाई सरकार के खिलाफ अपना खुद का अदालती मुकदमा शुरु करना चाहते/चाहती हैं, तो आपको अपना नाम वापिस लेने से **पहले** अपने मुकदमे और लागू समय सीमा के बारे में किसी वकील से सलाह लेनी चाहिए।

यदि आप नाम वापिस लेना चाहते/चाहती हैं, तो आपके लिए यह ज़रुरी है कि आप इस नोटिस के अंत में दिया गया नाम वापसी फॉर्म भरें और इसे निम्नलिखित पते पर डाक से भेजें या ई-मेल करें:

The Registrar

Federal Court of Australia

Victorian District Registry

305 William Street

Melbourne VIC 3000

or

vicreg@fedcourt.gov.au

महत्वपूर्ण:

नाम वापसी फोर्म 4 दिसम्बर 2020 से पहले-पहले रजिस्ट्रार को मिल जाना चाहिए।
यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह माना नहीं जाएगा कि आपने नाम वापिस ले लिया है और आप तब भी इस क्लास एक्शन के सामूहिक सदस्य होंगे।

समूह का हर सदस्य जो अपना नाम वापिस लेना चाहता है, उसे एक अलग नाम वापसी फॉर्म भरना होगा।

8. यदि मैं क्लास एक्शन में बना रहूँ तो क्या मुझे कोई भुगतान करना होगा?

क्लास एक्शन में बने रहने के लिए अभी आपको कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

Maurice Blackburn Lawyers इस क्लास एक्शन को 'सशर्त नि:शुल्क' आधार पर लड़ रहे हैं। इसका यह अर्थ है कि उनको भुगतान केवल उसी स्थिति में किया जाएगा यदि क्लास एक्शन कामयाब रहता है।

यदि क्लास एक्शन कामयाब रहता है, तो Maurice Blackburn Lawyers को अपनी कानूनी सेवाओं के लिए मिलने वाली राशि उस राशि तक सीमित होगी जो वे ऑस्ट्रेलियाई सरकार या किसी अन्य पक्ष से रिकवर कर सकते हैं।

यदि अपने खुद के दावे को अंतिम रुप देने के लिए आपको व्यक्तिगत कानूनी सलाह की आवश्यकता है तो केवल उसी परिस्थिति में मामले के अंत में आपको कुछ भुगतान करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके लिए वह काम करने के लिए आप Maurice Blackburn Lawyers या किसी अन्य वकील को नियुक्त कर सकते/सकती हैं। जिन शर्तों पर Maurice Blackburn Lawyers इस क्लास एक्शन का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनसे संपर्क करके आप उन शर्तों की प्रति प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

9. प्रासंगिक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ आप कहाँ से प्राप्त कर सकते/सकती हैं?

दावे के बयान और प्रतिवाद सहित प्रासंगिक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती हैं:

(a) इन्हें https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/ से डाउनलोड करके;

(b) Maurice Blackburn Lawyers के किसी कार्यालय पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच इनकी जांच करके, इनके संपर्क विवरण www.mauriceblackburn.com.au पर उपलब्ध हैं या 1800 930 956 पर फोन करके प्राप्त किए जा सकते हैं;

(c) फेडरल कोर्ट की किसी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री से संपर्क करके (संपर्क विवरण www.fedcourt.gov.au पर उपलब्ध हैं) और उचित जांच शुल्क का भुगतान करके; अथवा

(d) फेडरल कोर्ट की वेबसाइट https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/class-actions/class-actions पर इनकी जांच करके।

कृपया उपरोक्त मामलों पर ध्यानपूर्वक ग़ौर करें। यदि कुछ ऐसा है जिसे लेकर आप अनिश्चित हैं, तो आपको Maurice Blackburn Lawyers से 1800 930 956 या asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au पर संपर्क करना चाहिए या अपने लिए कानूनी सलाह लेनी चाहिए। अपने फैसला लेने में आपको विलंब नहीं करना चाहिए।

Form 21
Rule 9.34

OPT OUT NOTICE

No. VID1392 of 2019

अनुलग्नक बी

इस फॉर्म का प्रयोग केवल तभी करें अग्दि आप क्लास एक्शन का भाग बने रहना नहीं चाहते/चाहती हैं

फॉर्म 21
नियम 9.34

नाम वापिस लेने का नोटिस

संख्या 2019 की VID1392

फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया

डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री: विक्टोरिया

डिवीज़न: जनरल

DBE17 (उनके मुकदमे एके संरक्षिका Marie Theresa Arthur द्वारा)

वादी

ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल

प्रतिवादी

सेवा में: The Registrar
Federal Court of Australia
VIC District Registry
Owen Dixon Commonwealth Law Courts Building
305 William Street
Melbourne VIC 3000

[आपका पूरा नाम], इस क्लाश एक्श में एक क्लास सदस्य, *Federal Court of Australia Act 1976* की धारा 33J के अधीन नोटिस देता/देती हूँ कि *[आपका पूरा नाम]* क्लास एक्शन से अपना नाम वापिस ले रहा/रही हूँ।

दिनांक: [eg 19 June 20..]

आपके हस्ताक्षर:

आपका पूरा नाम:

जन्म तिथि:

ई-मेल पता:

फोन नम्बर:

किसी एक पर गोले का निशान बनाएँ: समूह के सदस्य या समूह के सदस्य के कानूनी संरक्षक या समूह के सदस्य नहीं